तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ज तार
03/07/24	:- पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील अनु० वास्ते मामला बार-बार आवाज लगाने के बावजूद वादी व वादी वकील उप० नहीं हुए। चूँकि दावा अदम पैरवी व अदम हाजरी से खारिज किया जा चुका है मूलवाद के खारिज होने से प्रकरण 212 R T Act की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः प्रकरण 212 RT Act की कार्यवाही पूर्ण की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती हो वाकई मिसल मूलवाद हो।	